राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(37)/PMMVY-CAS/ICDS/2017-18/ 204983-205319 दिनांक : 30-11-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त

विषयः– प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के सत्यापन के संबध में उचित दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत आपको समय–समय पर उचित दिशा–निर्देश दिए जाते रहे है। साथ ही उक्त योजना के अन्तर्गत पूरे राजस्थान में लगभग 4.50 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जा चुका है, इसी संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त लाभार्थियों को सत्यापित किया जाये कि सही लाभार्थी को ही उक्त योजना का लाभ मिला है, इस हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैः–

1. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सेक्टरवार मासिक PMMVY CAS Payment Report की दो प्रतियॉ संबंधित महिला पर्यवेक्षक को दी जाए। महिला पर्यवेक्षक एक कॉपी को स्वयं अपने पास रखे तथा दूसरी प्रति को संबंधित सेक्टर के हैडक्वाटर आंगनबाड़ी में देगी तथा सेक्टर बैठक में संबंधित कार्यकर्ता को लाभार्थी को किए गए भुगतान की स्थिति के बारे में अवगत करायेगी।
2. प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले किसी एक कर्मचारी (एलडीसी, एनटीटी, पर्यवेक्षक, लेखाकार व अन्य सीडीपीओं कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारी) को चैकर की तरह नामांकित किया जाए। चैकर के लिए एक अलग डीईओ लॉगिन आईडी व पासवर्ड संबंधित उपनिदेशक द्वारा प्रदान की जाए। यहां स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को चैकर का कार्य नहीं करवाया जाये।
3. पर्यवेक्षक सेक्टर बैठक/पर्यवेक्षण/निरीक्षण के दौरान पीएमएमवीवाई लाभार्थी के भुगतान का सत्यापन करेगी। उक्त सेक्टर बैठक/पर्यवेक्षण/निरीक्षण के दौरान यदि कार्यकर्ता द्वारा बताया जाता है कि लाभार्थी का भुगतान नहीं हुआ है, तो संबंधित पर्यवेक्षक उनकी सूची (जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, सेक्टर का नाम, लाभार्थी का नाम, आधार नम्बर व खाता नम्बर) लेकर सीडीपीओ कार्यालय में चैकर को देगी।
4. चैकर परियोजना की समस्त पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूची के आधार पर PMMVY CAS/ PFMS File में सर्च करेगे और स्टेटस को संबंधित पर्यवेक्षक के साथ शेयर करेगी। यदि चैकर को किसी केस में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो वे सीडीपीओ के माध्यम से संबंधित उपनिदेशक व निदेशालय को सूचित करेंगे।

5. यदि सेक्टरवार मासिक PMMVY CAS Payment Report में संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा पाया जाता है कि उक्त सेक्टर में दर्ज लाभार्थी संबंधित सेक्टर का नहीं है, तो ऐसे लाभार्थियों की सूची बनाकर चैकर को देगी और चैकर इसे अपनी परियोजना में समस्त पर्यवेक्षकों से चैक कराकर सीडीपीओ के माध्यम से संबंधित उपनिदेशक व निदेशालय को 03 दिवस में सूचित करेंगे।
6. उपनिदेशक को निर्देशित किया जाता है कि पीएमएमवीवाई योजना के अन्तर्गत जिले में कार्यरत डीआईएसएम/डीपीसी/डीपीए के द्वारा उपरोक्त सूचीयों को संकलित कर निदेशालय को भेजी जाए।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऍ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(37)/PMMVY-CAS/ICDS/2017-18/ 205320-21 दिनांक : 30.11.18

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव निदेशक, आईसीडीएस, राजस्थान जयपुर
2. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (आईईसी)/
सहायक राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)